


341



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

मा-3408 II-16

प्रकरण क्रमांक

12016 निगरानी

हैमन्त कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्र,
निवासी बाई क्रमांक-६, नगर पंचायत रामपुर
नैकिन, तेहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
(मध्यप्रदेश)।

टिकटक 30.9.16 को
मा. नैकिन को लाभार्थी
निगरानी अद्यता
क्र. 30.9.16

115
30.9.16

2532 निगरानी
30.9.16

बिराच्छ

१- बिष्णुशंकर कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी विजय

माकौट, वड्हेडा, मोपाल -००४०।

२- मुसो शिवकुमारी वेवा उदयशंकर,

३- पुवीण पुत्राण उदय शंकर,

४- विभव

निवासीगण ग्राम सुन्दा जिला देवरिया, उचरप्रदेश।

प्रतिपार्थिगण

निगरानी बिराच्छ आदैश तेहसीलदार महांदय रामपुर नैकिन जिला
सीधी दिनांकी १४-०६-१६, अंतर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मूरोज्ज्वला
संहिता, १६५४ । प्र० ०५० ६१ अ-२७।१५-१६।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी
स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।

३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने धारा १७८ मूरोज्ज्वला संहिता,
के परन्तुक का अर्थ सही नहीं समझा है।

४- यह कि, प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने से प्रकरण की
कार्यवाही धारा १७८ के परन्तुक के प्रावधान के क्रमार स्थगित

— 2 —

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—3408—दो / 2016

जिला—सीधी

हेमन्त कुमार विरुद्ध दयाशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रामपुर नैकिन, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 61 / अ—27 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 14—09—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p>	<p>11-03-19 (आरोक्तो जैन) संदर्भ</p>